

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 373/2017

Kripa Shankar Sharma @ Santu Sharma @ Ra

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Parth Sharma, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

20/05/2026

आई.ए. 1/26 पर सुना गया।

दिनांक 11.04.2017 को याची-अभियुक्त का दण्डादेश स्थगित करते समय प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में याची-अभियुक्त को विचारण न्यायालय व इस न्यायालय में अपनी उपस्थिति अंकित कराने का निर्देश दिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त का निवेदन है कि विचारण न्यायालय व इस न्यायालय दोनों स्थानों पर उपस्थित होने में अनावश्यक समय व प्रक्रिया का अपव्यय होता है, अतः एक स्थान पर अभियुक्त को उपस्थिति से छूट प्रदान की जावे।

आदेश दिनांक 11.04.2017 का है, अभी भी निकट भविष्य में निगरानी याचिका के निस्तारण की संभावना नहीं है, अतः आई.ए. 1/26 स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.04.2017 में इस न्यायालय में अभियुक्त को प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में उपस्थिति हेतु जो निर्देश दिया गया था, उसे समाप्त किया जाता है। याची-अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय में प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में अपनी उपस्थिति अंकित करवाई जावेगी।

इसी अनुसार यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J